HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 394/2026

In

S.B. Criminal Appeal No.448/2026
CNR: RJHC020190972026 | URN: SOSA / 786U / 2026

Arjun Singh S/o Babulal Bavariya, R/o Singhana, Presently Residing Near Government School, Firojpur, Police Station Palval Sadar, District Palval (Haryana). (Presently Confined In District Jail Jhunjhunu).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. BhanuPrakash with Mr. Sarthak Choubey
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

30/07/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **अर्जुन सिंह** की ओर से विचारण न्यायालय–**विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, झुंझुनूं** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**48/2024, सरकार बनाम अर्जुन सिंह एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **13.02.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम पांच वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि विचारण के दौरान भी अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.05.2024 से 22.08.2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात् वह जमानत पर रहा है तथा वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक 13.02.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि 20 माह की हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि पीड़िता के बयान विश्वसनीय नहीं है, पीड़िता ने अपने बयान अं. धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श पी–22 में अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दुष्कर्म किए जाने की कोई साक्ष्य नहीं दी है, उक्त तथ्य एवं साक्ष्य का विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया है, अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

परिवादी पक्ष बावजूद तामील उपस्थित नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, अनुसंधान के दौरान पीड़िता के धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान प्रदर्श पी–22 एवं विचारण के दौरान पीड़िता के पी0डब्ल्यू–7 के रूप में लेखबद्ध बयानों का एवं अन्य साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अतः पीड़िता की अनुसंधान एवं विचारण के दौरान आई साक्ष्य की प्रकृति, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी

किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **31.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **अर्जुन सिंह पुत्र श्री बाबूलाल बावरिया** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

39/MANOJ ADWANI